



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 331/18

निर्णय दिनांक: 16-08-2019

1. मनजीतकौर पुत्री रणसिंह जाति चमार सिख निवासी सुभाषपुरा बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 05-07-1997  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 05-07-1997 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर विशेष आवंटन के तहत चक 2 एमटीएम के मुरब्बा

नम्बर 190/26 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 05-07-1997 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा स्कीम से बाहर बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन के गजट में नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है।

ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये। जबकि वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05-07-1997 के विरुद्ध अपील दिनांक 06-09-18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. हस्तगत प्रकरण में पूर्व में मियाद दरखवाश्त पर निर्णय पारित करते समय अपील की विषयवस्तु का व कानूनी बिन्दु का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया था। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद के संबंध में आरआरडी 1998 पेज 319 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसके अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी अपील का निस्तारण मियाद के बिन्दु पर बिना गुणावगुण को ध्यान में रखे बिना किया गया है, ऐसी स्थिति में जहाँ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हो वहाँ न्यायालय को मामलें का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का प्रयास करना चाहिए, मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः उक्त नजीर क प्रकाश में परीक्षण न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीछे निर्णय करने के कारण मियाद अधिनियम की धारा 5 की दरखवाश्त स्वीकार की जाती है व पूर्व में मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई अपील को पुनः गुणावगुण पर निर्णय हेतु सुनवाई पर लिया गया।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में ब तौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल में चक 2 एमटीएम के मुरब्बा नम्बर 190/26 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 1996 को मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर

प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये व बिना वादगत् भूमि के बाबत् गजट की स्थिति व अन्य को आवंटित होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 05-07-1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
8. निर्णय आज दिनांक 16-08-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर